

भाग II—खण्ड 3— उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

संग् 521] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 19, 1998/श्रावण 28, 1920 No. 521] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 19, 1998/SRAVANA 28, 1920 गृह मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1998 का.आ. 707 (अ)—संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति एतद्द्वारा निर्देश देते हैं कि सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक (चाहे उप-राज्यपाल, मुख्य आयुक्त अथवा प्रशासक के नाम से जाने जाते हैं), राष्ट्रपति एतद्द्वारा निर्देश देते हैं कि सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक (चाहे उप-राज्यपाल, मुख्य आयुक्त अथवा प्रशासक के नाम से जाने जाते हैं), राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन तथा अगले आदेशों तक अपने संबंधित संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम 1998 (1998 का 14) के उपबंधों के तहत राज्य सरकार की शक्तियों का भी प्रयोग करेंगे तथा उसके कार्यों का निर्वाहन करेंगे।

[फा. सं. यू-11030/1/98-यू. टी.एल.] पी. के. जलाली, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 1998

S.O. 707 (E)—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrators of all Union Territories (whether known as Lieutenant Governor, Chief Commissioner of Administrator), shall Government under the provisions of the Electricity Regulatory Commissions Act, 1998 (14 of 1998), within their respective Union Territories.

[F. No. U-11030/1/98-UTL]

P.K. JALALI, Jt. Secy.

